"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 | रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 2-15/2008/1 सूअप्र.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त का एक नवीन पद वेतनमान रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) में निर्मित करता है.

2. उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 369/सी.एन. 2013-01-00121/बजट-5/वित्त/चार 2013, दिनांक 16-08-2013 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उप खंड (2) के अंतर्गत डॉ. दुर्गाशरण चन्द्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, छह वर्ष की अवधि पूर्ण करने के कारण दिनांक 12-08-2013 को (अपरान्ह) अपने पद से मुक्त हो चुके हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक, दिनांक 24-8-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

Raipur, the 24th August 2013

No. F 6-24/2011/1/One.- Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India Dr. Durgasharan Chandra, Member, Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur on completion of the period of 6 years, was relieved on 12-08-2013 (A/N).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. CHURENDRA., Deputy Secretary.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 29th July 2013

F. No. 6526/2430/XXI-B/C.G./13. - In exercise of the powers conferred by Section 153(1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes following amendment in this department's previous notification No. 9119/D-967/XXI-B/C.G./2006, dated 07-06-2006, namely :—

AMENDMENT

For the entries in serial No. 2 and 8 of the said notification the following shall be substituted :—

S. No: (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon Civil District	IInd Additional Sessions Judge Rajnandgaon
8.	Dantewada	Dantewada Civil District	Sessions Judge Dantewada

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 6888/2299/21-ब/छ.ग./2013.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5390/21-ब/छ.ग./2013 दिनांक 29-06-2013 के हिन्दी पाठ में शब्द "सरगुजा" के स्थान पर शब्द "बिलासपुर" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक 7894/2690/21-ब/2013.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. विजय प्रकाश विक्रम, सीआईसीएम चर्च, फास्टरपुर, मुंगेली को छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 7894/2690/21-B/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act. 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Vijay Prakash Vikram, CICM Church, Fasterpur, Mungeli for District Mungeli of State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 21-01-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था. मण्डी अधिनियम में हुए संशोधन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 में संशोधन तथा मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण समय-समय पर अधिसूचना जारी कर मण्डी निर्वाचन को 06-06 माह के लिए मुल्तवी किया गया है, विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्र. 764 रायपुर, दिनांक 20-02-2013 द्वारा मण्डी निर्वाचन को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था.

वर्तमान में भी मण्डी समिति के क्षेत्र सीमा तथा नवगठित 09 जिलों के परिसीमन एवं परिवर्तन के कारण युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति के निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन नियम) नियम 1997 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अतः उक्त निर्वाचन की कार्यवाही को लगभग 06 माह के लिए मुल्तवी किया जाना आवश्यक होगा.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन को दिनांक 20-08-2013 से 06 माह की अवधि [illegible]

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक 1 5/2013/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूचियों में,—

(क) अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 35 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्ग	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36	कम्प्यूटर ऑपरेटर-कम-प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	26	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	रु. 5200-20200+ग्रेड वेतन रु. 2800 (छठवें वेतनमान में)"

(ख) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 35 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	विभाग का नाम/पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"36	कम्प्यूटर ऑपरेटर-कम-प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	26	100%	—	—	—"

(ग) अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 18 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात् :—

विभाग का नाम	स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"19	कम्प्यूटर ऑपरेटर-कम-प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) में स्नातकोत्तर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी स्नातक उत्तीर्ण."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक 1-5/2013/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 31st July 2013

No. F 1-5/2013/XII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Geology and Mining Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

(a) After serial number 35 of Schedule-I, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Posts included in the service	Number of Post	Class	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36	Computer operator-cum-Programming Assistant	26	Class-III (Non-Ministerial)	Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs. 2800 (in 6th Pay Scale)"

(b) After serial number 35 of Schedule-II, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Number of Post	Total posts to be filled			Remark
			By direct Recruitment	By Promotion	By transfer from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"36	Computer operator-cum-Programming Assistant	26	100%	—	—	—"

(c) After serial number 18 of Schedule-III, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

Name of Department	S. No.	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"19	Computer operator-cum-Programming Assistant	18 Years	30 Years (35 Years for Domicile of Chhattisgarh)	Should have passed Master of Computer Application (MCA) from any recognized University or Bachelor of Engineering in Information Technology."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अविअ./भू.अ./13 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	काकेनचुवां	1.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	अमरकोट व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	पासंगी	0.687	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	[illegible]-रांधना-माकड़ी मार्ग के कि.मी. 5/10 पर [illegible] नदी में सेतु निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाते (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	फरसगांव	भण्डारसिवनी, हिर्री	5.80	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 03, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कोण्डागांव.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भण्डारसिवनी से जाड़ापदर तक सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 03, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. ध्रुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/1999-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	0.55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) अंबिकापुर.	पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 19[illegible] की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	पसेना	4.210	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	गुजरवार	3.014	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	नागम	2.944	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. **प्रसन्ना,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्रमांक/5730/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	माटेकट्टा प.ह.नं. 36	0.163	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	पिनकापार व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5799/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	रंगीटोला प.ह.नं. 01	2.071	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के रंगीटोला माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5800/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	झितराटोला प.ह.नं. 06	1.944	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के झितराटोला माइनर क्र.-01 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5801/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बिसाहूटोला प.ह.नं. 2/38	0.489	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के बिसाहूटोला माइनर क्र.-02 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5802/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बिसाहूटोला प.ह.नं. 2/38	0.185	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के बिसाहूटोला माइनर क्र.-01 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5803/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	नागरकोहरा प.ह.नं. 02	1.695	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के नागरकोहरा माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक/5804/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	झितराटोला प.ह.नं. 06	2.526	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	खातूटोला बैराज के झितराटोला माइनर क्र.-02 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्रमांक/1584/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कुम्हडईखुर्द	0.94	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तेल नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्रमांक/1585/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 11-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कुम्हडईकला	1.62	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तेल नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 334/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 39/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प.ह.नं. 22	576	0.05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के ए.डी. रोड नंबर-5 हेतु.
		योग	1	0.05		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 335/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 38/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प.ह.नं. 22	8	3.54	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के फेस-2 में ईस्ट क्रास रोड-13 हेतु.
		योग	1	3.54		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 336/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 36/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प.ह.नं. 22	32	0.43	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के ईस्ट ऐव्हेन्यू रोड पार्ट-1 हेतु.
			235	0.25		
			342	0.22		
		योग	3	0.90		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 337/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 35/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प.ह.नं. 18	151	0.09	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र/लेयर- 01 के अंतर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			153/1	0.08		
			153/2	0.01		
			154/1	0.03		
			154/2	0.07		
			199/1	0.03		
			199/2	0.05		
			200	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			201/1	0.03		
			201/2	0.02		
			202	0.04		
			203	0.06		
			206	0.03		
			207	0.03		
			208	0.06		
			211	0.10		
			212	0.03		
			215	0.03		
			217	0.11		
			233	0.03		
			236	0.02		
			237/1	0.01		
			237/2	0.01		
			237/3	0.01		
			238	0.05		
		योग	25	1.11		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 338/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 34/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	चेरिया प.ह.नं. 28	172	0.28	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास हेतु फेस-2 के अंतर्गत ए.डी. रोड नं. 03 निर्माण हेतु.
		योग	1	0.28		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 339/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 33/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, उसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बंजारी प.ह.नं. 28	67/1	0.13	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास हेतु फेस-2 के अंतर्गत ए.डी. रोड नं. 03 निर्माण हेतु.
			67/2	0.20		
			67/3	0.15		
			68/2	0.20		
			73	0.01		
			74	0.11		
			88/1	0.24		
			135	0.44		
			136/2	0.16		
			140	0.34		
			141/1	0.07		
			142/1	0.12		
			142/2	0.04		
			142/3	0.04		
			142/4	0.02		
			142/5	0.03		
			145	0.08		
			146/1	0.15		
			146/3	0.09		
			157/5	0.21		
			211/1	0.04		
			212	0.24		
			222	0.15		
			223	0.14		
			224	0.29		
		योग	**25**	**3.69**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 जून 2013

प. प्र. क्र. 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम मुड़गांव, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1312/2	0.126
योग	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम लब्जी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 6.576 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.364
26	0.591
45/2	0.202
21	0.198
33	0.628
44/2	0.097
44/1	0.644
34/2	0.385
22	0.262
41	0.902
23	0.450
40	1.279
24	0.165
43	0.409
योग	6.576

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है तिरकेला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

भू अर्जन प्र. क्र./06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

भू अर्जन प्र. क्र./07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम फुलचुही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134/1	0.089
134/2	0.089
1005/1	0.073
1019/1	0.026
1021/1	0.202
योग	0.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पण्डरीडांड जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम नारायणपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.691 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
600/7	0.041
559/1	0.028
552	0.041
558/9	0.101
557	0.012
649	0.024
600/5	0.231
650	0.036
558/5	0.053
554/2	0.024
562/1	0.032
555	0.020
560	0.024
554/1	0.024
योग	0.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पण्डरीडांड जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम फुलचुही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.593 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1039	0.021
703	0.072
474	0.028
432	0.004
507	0.012
243	0.206
515	0.105
144	0.065
587	0.028
292	0.028
707	0.024
योग	0.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है पण्डरीडांड जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जुलाई 2013

भू अर्जन प्र. क्र./10/अ 82/2012 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.418 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348/2	0.008
651	0.024
624/2	0.022
633/1	0.012
675	0.117
655/2	0.024
656/2	0.073
444/1	0.043
476	0.020
444/2	0.042
359	0.024
823	0.097
491	0.093
629/1	0.032
556/3	0.061
664/2	0.036
550/3	0.045
657/4	0.011
676/2	0.073
556/2	0.057
334/2	0.012
664/1	0.045
414/2	0.019
647/2	0.008
643/2	0.049
632/2	0.041
440/5	0.069
648/3	0.012
485	0.061
561/1	0.097
828/3	0.016
666	0.077
345	0.016
338	0.024
550/4	0.045
553	0.041
633/2	0.020
564/2	0.129
663/2	0.032
554/3	0.008
658/1	0.049
332/2	0.028
548/2	0.205
650/2	0.034
635/846	0.052
626/2	0.020
659	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
457/1	0.130	340/2	0.006
811/1	0.085	339/1	0.016
470	0.049	455/2	0.044
647/1	0.008	650/1	0.034
492	0.344	649/3	0.016
452	0.040	344	0.016
649/1	0.016	419/2	0.053
665	0.077	337	0.016
350	0.016	644	0.024
333	0.016	654/4	0.034
560/4	0.048	630	0.032
671	0.141	484/1	0.077
634/2	0.010	680/2	0.077
636/2	0.026	661	0.089
356	0.036	636/3	0.026
556/4	0.061	667	0.065
676/1	0.073	451/3	0.126
419/4	0.008	596/1	0.251
654/1	0.034	314	0.032
597/2	0.045	656/1	0.016
348/3	0.008	598/1	0.024
349	0.024	340/3	0.006
660/2	0.032	648/2	0.012
455/1	0.032	460/4	0.024
634/3	0.010	825	0.113
474/2	0.049	348/1	0.008
343/2	0.024	639/1	0.024
334/1	0.012	421	0.089
454	0.056	420	0.036
640/2	0.032	670	0.117
335	0.008	448/3	0.077
351	0.024	680/4	0.068
451/1	0.065	637	0.065
596/4	0.121	596/2	0.174
642	0.085	640/1	0.032
414/1	0.086	662	0.049
654/2	0.034	653/3	0.032
641	0.041	440/2	0.173
596/3	0.020	490	0.053
336/1	0.024	680/1	0.053
439	0.052	824	0.081
560/1	0.048	655/3	0.024
450/3	0.065	598/3	0.016
341	0.024	457/2	0.061
315	0.032	483	0.061
450/2	0.041	496/3	0.057
		595/1	0.146

(1)	(2)
595/4	0.165
638/3	0.036
332/1	0.020
828/2	0.016
360	0.028
645	0.020
443/1	0.089
340/1	0.006
552/3	0.170
461/2	0.052
548/4	0.141
680/3	0.077
676/3	0.157
624/1	0.022
318/19	0.121
663/1	0.032
556/1	0.061
योग	8.418

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कंचनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 01/अ 82/2003 2004.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरनाडीह, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	424	0.16
योग	1	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--बलरामपुर-कुसमी मार्ग पर चनान सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2003-2004.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम बरातनगर, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.04

(1)	(2)
30	0.12
योग 2	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरकोल-डिण्डो मार्ग पर भ्रमर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 06/अ 82/99 2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम रामपुर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.340
11	0.030
10	0.280
27	0.040
29	0.030
योग 5	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है रामानुजगंज-वाड्रफनगर सेन्दूर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-रामानुजगंज, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144	0.04
योग 1	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अम्बिकापुर रामानुजगंज पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/1999 2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम पचावल, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.744 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157	0.121
159	0.178
156	0.302
118	0.023
262/2	0.120
योग 5	0.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है सनावल पचावल मार्ग पर पागम सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
  (ख) तहसील-रामानुजगंज
  (ग) नगर/ग्राम-चेरा, प.ह.नं. 01
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1554	0.14
1578	0.15
1459	0.42
1462	0.12
1457	0.43
1461	0.28
1465	0.07
1579	0.58
1463	0.20
1572	0.02
1456	0.18
1574	0.34
1575	0.18
1577	0.18
1581	0.12
1580	0.45
योग 16	3.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आड़पथरा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.865 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.121
112	0.101
114/2	0.020
126	0.146
114/1	0.008
109	0.008
113	0.032
127	0.006
144	0.081
125	0.073
128	0.006
115	0.121
118, 119, 122	0.085
111/1	0.057
योग	0.865

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-आड़पथरा जबलपुर मार्ग पर मांड नदी पर निर्माणाधीन मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गुरदा, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
482/3	0.081
483/3	0.020
479/1	0.106
487/2	0.072
488/2	0.032
योग	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-भालूनारा-नवरंगपुर मार्ग पर मांड नदी पर निर्माणाधीन मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय खरसियां में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गोपालभौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.457 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	420/1	0.015
	416/3	0.045
	415/2	0.010
	405	0.008
	414	0.031
	424, 425	0.065
	415/3	0.020
	401/1	0.070
	404	0.062
	410/1	0.020
	410/2	0.049
	400	0.008
	418	0.024
	415/1	0.008
	411	0.014
	401/2	0.008
योग	16	0.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुड़ी नाला व्यपवर्तन बियर निर्माण डूबान एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-डौकीजोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.928 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	145/3	0.057
	132/2क	0.036
	146/4क	0.013
	121/3	0.009
	117	0.033
	13/1ख, 14/2	0.033
	3, 4/1	0.122
	145/1	0.051
	146/2ख	0.045
	132/1, 146/1	0.017
	119/4	0.073
	110/1	0.08
	13/1घ, 14/4	0.021
	5/5, 6/5	0.057
	145/2	0.050
	132/2ख	0.037
	122, 123, 127/1	0.013
	116/5, 118/5	0.016
	111/3	0.012
	13/1क, 14/1	0.045
	146/2क	0.013
	146/3ख	0.020
	116/4, 118/4ख	0.049
	116/1, 118/2	0.020
	106, 112/2ख	0.037
	17/4, 18/2	0.041
योग	26	0.928

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुड़ी नाला व्यपवर्तन बियर निर्माण डूबान एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 01 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-मैनपुर

(ग) नगर/ग्राम-मटिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	214/1	0.01
	217/1	0.01
	214/2	0.01
	214/4	0.01
	215	0.32
	216/1	0.05
	220	0.32
	221	0.05
	222/1	0.42
	223	0.03
	224	0.62
योग	11	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 02 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-मैनपुर

(ग) नगर/ग्राम-मुनगापदर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/1	0.46
16/1	0.03
51/1	0.58
50/1	0.32
49	0.13
48/1	0.24
46/2	0.26
59/1	0.16
45	0.15
46/3	0.13
59/2	0.19
47	0.04
44/1	0.98
60	0.27
61	0.16
62	0.24
70/3	0.17
63	0.13
65	0.10
80	0.32
98	0.01
83	0.36
82	0.03
84/1	0.24

	(1)	(2)
	84/2	0.13
	84/3	0.20
	85	0.26
योग	27	6.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 03 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-देवभोग

(ग) नगर/ग्राम-गाड़ाघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	232/2	0.05
	232/1	0.50
	226/1	0.13
	225	0.01
	230	0.12
	226/3	0.23
	223	0.11
	661	0.09
	663	0.07
	662	0.12
	664	0.04
	669	0.08
	713	0.42
	714	0.19
	649	0.24
	650	0.01
	736	0.03
	648	0.12
	647	0.16
	644	0.12
	643	0.11
	641	0.16
	640	0.16
	845	0.31
	846	0.41
	964	0.14
	970	0.03
	965	0.01
	963	0.22
	962	0.01
योग	30	4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 04 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-देवभोग

(ग) नगर/ग्राम-लदरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
605/4	0.04
605/5	0.21
605/3	0.03
604	0.02
603	0.15
602	0.01
601/2	0.28
601/1	0.02
562	0.88
586/1	0.01
563	0.01
564/1	0.04
561	0.08
555	0.58
648	0.17
547	0.02
642	0.23
644	0.01
643	0.18
647	0.07
योग 20	3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 05 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपीटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60	0.08
67	0.17
62	0.65
55	0.16
63	0.27
65	0.03
64	0.03
66	0.06
68	0.01
50	0.48
44	0.17
45/2	0.10
347	0.01
348	0.16
350/2	0.22
350/1	0.70
441	0.16
439	0.11
438	0.01
440	0.14
437	0.83
357	0.02
योग 22	4.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 06 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-देवभोग
(ग) नगर/ग्राम-सितलीजोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/2	0.17
41	0.04
257	0.01
42	0.58
189/2	0.27
249/2	0.01
249/1	0.05
189/1	0.20
190	0.16
190/2	0.06
191/3	0.18
188	0.62
50/1	0.10
194	0.65
195	0.15
226	0.46
227	0.10
234	0.42
239/2	0.01
241	0.02
240	0.22
237	0.04
239/1	0.07
238	0.10
651	0.13
योग 25	4.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 07 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-देवभोग
(ग) नगर/ग्राम-कदलीमुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
487	0.01
488/5	0.12
190	0.10
484/1	0.17
484/2	0.10
483	0.12
399	0.04
376	0.20
378	0.40
386/3	0.01
386/2	0.20

	(1)	(2)
	286/5	0.01
	387	0.27
	406	0.01
	353	0.12
	601	0.06
	352	0.26
	354	0.26
	355/1	0.17
	356/5	0.15
	432/1	0.17
	401	0.26
	435	0.30
	403	0.16
	402	0.40
	404	0.02
	410	0.01
	398/5	0.12
	495/5	0.01
	496/6	0.01
	498/7	0.20
	497/3	0.07
	396	0.12
	397	0.28
	495/3	0.14
	496/2	0.10
	523	0.08
	524	0.14
	525	0.16
	520/14	0.05
	526	0.39
	527	0.03
	520/13	0.02
	520/10	0.07
	520/9	0.01
योग	45	6.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 08 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-बरही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
381	0.11
378	0.16
379	0.17
375	0.35
362	0.82
331	0.09
145	0.09
348	0.12
253	0.12
347/2	0.40
308	0.31
347/1	0.13
324/1	0.39
257	0.15
325/1	0.20
325/3	0.20
328/6	0.13
318	0.42
292	0.47
141	0.14
286/3	0.05
319/1	0.20
291	0.26
326	0.11
307	0.44

(1)	(2)
190/3	0.09
310	0.06
290/1	0.62
281	0.16
286/2	0.03
286/1	0.06
286/6	0.08
97	0.05
96	0.07
93	0.15
92	0.07
91	0.11
327/3	0.17
327/2	0.10
327/1	0.10
328/2	0.09
214	0.15
259	0.07
254	0.10
213/2	0.04
231	0.10
212/3	0.03
190/1	0.10
213/1	0.02
205	0.15
138	0.15
191	0.11
139	0.11
146	0.06
147/1	0.03
148	0.03
129	0.06
117/391	0.09
46	0.05
117	0.04
118	0.11
34/1	0.16
45	0.11
33/3	0.01
212/2	0.02

	(1)	(2)
	255	0.01
योग	66	9.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 09 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला- गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सुकलीभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168/2	0.02
168/3	0.35
168/4	0.06
390/5	0.13
169/1	0.37
174/1	0.02
170/1	0.53
349	0.11
198	0.20
197	0.10
199	0.15
211	0.14

(1)	(2)
212/1	0.18
213	0.23
216	0.04
212/2	0.04
220	0.06
259/1	0.40
258	0.07
257	0.07
256	0.04
343	0.16
8	0.12
345	0.22
374	0.33
309	0.22
350	0.34
152	0.14
366	0.16
305	0.05
348	0.04
364	0.27
375/3	0.28
389	0.28
355/1	0.11
390/4	0.05
393	0.07
408	0.10
410	0.10
409	0.31
394/3	0.18
394/1	0.07
405	0.07
406	0.15
398/4	0.25
398/1	0.02
398/3	0.14
399	0.13
336/1	0.14
139	0.09
143	0.08
41	0.07
335/1	0.20
317	0.01
329/1	0.14
322	0.30
325	0.16
321	0.04
308	0.12
151	0.20
304	0.16
2	0.02
3	0.26
4	0.16
6	0.13
7	0.05
153	0.12
39	0.13
146	0.02
140	0.07
42	0.07
योग 71	10.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 59/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-घुमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7	0.01
11	0.01
12	0.02
15	0.02
14	0.04
16	0.01
17/1	0.02
17/2	0.02
18	0.02
20	0.05
22	0.01
19	0.02
21	0.01
योग	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिर्री-खर्रा-दर्रा-पटेवा मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 61/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-कुरूद
(ग) नगर/ग्राम-दर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
337	0.02
338	0.01
339	0.01
358	0.01
359	0.01
360	0.01
362/2-3	0.08
362/1	0.04
372	0.02
373	0.04
380	0.04
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिर्री-खर्रा-दर्रा-पटेवा मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2012 प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
(ख) तहसील-बलौदाबाजार
(ग) नगर/ग्राम-रिसदा, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.821 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1583, 1584/1	0.045
1584/2	0.061
1590, 1598	0.195
2307	0.109
1591, 1592	0.150
1593/1, 1594/1	0.045
1599/2	0.086
1947	0.041
2299/3	0.040
2435/2	0.270
1600/2	0.020
1650	0.008
1653/1	0.064
1654	0.048
1657	0.040
1658/1	0.178
1658/3	0.077
1662	0.081
1661/2	0.069
1663	0.081
1664	0.016
2460	0.089
1665	0.036
1697/1	0.186
1697/4	0.145
1697/5	0.020
1700	0.032
1942/6, 1943/6, 1966/5, 1971/6	0.016
1943/1, 1966/4	0.247
1949, 1953	0.057
2443	0.105
1951, 1952	0.086
1962	0.061
1963	0.097
1950	0.049
2297	0.008
2300/1	0.016
2300/2	0.028
2459	0.044
2301	0.040
2302	0.069
2303	0.105
2309	0.114
2310	0.073
2312	0.097
2313/1	0.350
2313/4	0.085
2413/5	0.061
2414	0.036
2416/4	0.049
1599/1	0.028
2445	0.048
1942/1	0.097
1697/6	0.150
1697/7	0.085
1699	0.109
1939/1	0.032
1940/1	0.008
1939/2	0.040
1940/2	0.046
1939/3	0.041
1940/3	0.045
1701	0.012
1948	0.048
1964	0.073
2299/1	0.141
2299/2	0.142
2429	0.008
2440, 2441	0.150
2442	0.081
2444	0.105
2446	0.069
2447/1	0.061
1720	0.077
योग 74	5.821

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2012 प्र.क्र. 06 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
(ख) तहसील-बलौदाबाजार
(ग) नगर/ग्राम-लिमाही, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.030 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	223	0.400
	224	0.100
	302	0.210
	304	0.270
	303	0.050
योग	5	1.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2012 प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
(ख) तहसील-बलौदाबाजार
(ग) नगर/ग्राम-मगरचबा, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.350 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	625	0.210
	716, 735	0.010
	721	0.040
	724	0.020
	730	0.010
	704	0.100
	731	0.020
	801	0.090
	830	0.130
	787	0.280
	785	0.120
	843	0.200
	841	0.050
	840	0.020
	800	0.030
	733	0.030
	717	0.040
	719	0.040
	720	0.130
	711	0.020
	706	0.050
	732	0.100
	705	0.060
	736	0.080
	737	0.090
	790	0.050
	786	0.100
	844	0.020
	842	0.130
	839	0.040
	838	0.020
	751	0.010
	718	0.010
योग	34	2.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-नयापारा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/1	0.142
226/2	0.089
226/3	0.142
205/2	0.024
205/3	0.024
207/2क	0.049
227	0.304
207/1	0.020
206	0.057
210/2	0.016
योग 10	0.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रहटाटोर एनीकट के तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), धमतरी, छत्तीसगढ़

धमतरी, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक 666/खनिज/रेत/2013.—छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर का निर्देश पत्र क्रमांक एफ-7-7/04/12 रायपुर, दिनांक 02-03-2006 में दिये गये निर्देश के तहत गौण खनिज रेत के व्यवसाय में रायल्टी 01 अप्रैल 2006 से लिया जाता है. इस हेतु जिले में उपलब्ध निम्नांकित रेत खदान को एतद्द्वारा चिन्हांकित एवं सीमांकित किया जाता है. रेत खदान का संचालन एवं संग्रहण का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा.

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	प.ह.नं.	तहसील	खसरा क्र.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गिरौद	गिरौद	6/40	कुरूद	319	4.00 हे.
2.	डमकाडीह	परेवाडीह	10	मगरलोड	716	4.00 हे.

सर्व संबंधित एवं आम जनता को अधिसूचना सूचनार्थ जारी की जाती है.

अनुसूची-दो
रायल्टी की दरें

क्रमांक	खनिज का नाम	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	साधारण रेत, बजरी	रु. 20.00 प्रति घन मीटर

एन. एस. मंडावी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd July 2013

No. 399/Confdl./2013/II-3-2/2002 (Pt.-II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Sevice, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 597/ Confdl./2012/II-3-2/2002, dated 01-09-2012, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Om Prakash Jaiswal	03-05-2013
2.	Shri Balram Kumar Dewangan	01-06-2013
3.	Shri Jagmohan Shankar Patel	17-06-2013
4.	Shri Ganesh Ram Patel	17-06-2013
5.	Shri Santosh Kumar Mahobiya	17-06-2013
6.	Ku. Pushplata Markande	17-06-2013
7.	Smt. Mona Chauhan	17-06-2013
8.	Shri Krishna Kumar Suryawanshi	17-06-2013

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 25th July 2013

No. 519/L.G./2013/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted commuted leave for 27 days from 27-05-2013 to 22-06-2013 and commuted leave for 04 days from 01-07-2013 to 04-07-2013.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (Admn.).